

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक ०५/०८/२०१६

क्रमांक एफ ४-३(अ)/२०१२/३८-२ :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक २१.१२.२०१२ के निर्णयानुसार अशासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली (जिला-मुंगेली) को जनहित में उत्तम व्यवस्था हेतु तत्काल प्रभाव से शासनाधीन किया जाता है। शासनाधीन होने के दिनांक से उक्त महाविद्यालय का नाम शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, जिला-मुंगेली होगा।

२/- उक्त के संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक ३४७/२०१३-३८-०००९४/वित्त विभाग/ब-३/२०१३ दिनांक २६.०७.२०१३ द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

३/- शासनाधीन के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं प्रावधान पृथक से जारी किये जायेंगे।

DSD

10 AUG 2016

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Sd/-
(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक ०५/०८/२०१६

पृ. क्रमांक एफ ४-३(अ)/२०१२/३८-२

प्रतिलिपि :-

०१. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
०२. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
०३. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
०४. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
०५. प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
०६. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
०७. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
०८. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर,
०९. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ०ग०) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अध्यक्ष, महाकौशल शिक्षण समिति, बिलासपुर, एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.) को शासन की ओर से इस महाविद्यालय की चल-अचल संपत्ति सहित अपने अधिकार में इस आदेश के दिनांक से ले ले। सभी सम्पत्ति की सूची और ब्यौरा तैयार कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे की शासनाधीन महाविद्यालय से प्राप्त सभी अचल सम्पत्ति भारमुक्त है। इसी प्रकार चल सम्पत्ति का सत्यापन स्टॉक रजिस्टर में एवं अन्य अभिलेखों से कर लिया जावे,
१०. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर,
११. पंजीयक, फर्म्स एण्ड संस्थाएं छ.ग. शंकर नगर, रायपुर,
१२. जिलाध्यक्ष, मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निवेदन है कि वे महाविद्यालय के शासनाधीन किये जाने के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करें,
१३. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०),
१४. जिला कोषालय अधिकारी, मुंगेली,
१५. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
१६. संयुक्त संचालक(वित्त), उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर,

17. अध्यक्ष, महाकौशल शिक्षण समिति, बिलासपुर, एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निवेदन है कि उक्त शासनधीन के अंतर्गत महाविद्यालय की चल-अचल संपत्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को तत्काल सौंप दें,
18. प्राचार्य एवं शिक्षा अधिकारी, शास. जमुना प्रसाद वर्मा वाणिज्य एवं कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
19. प्राचार्य, एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, जिला-मुंगेली, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग